



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प0 1(14)एमई/ग्रुप-1/12

जयपुर, दिनांक 02 NOV 2020

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 खख के उप नियम-5 के तहत गठित रिव्यू डीएसीपी (डायनेमिक एस्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन स्कीम) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा डॉ. चारु जैन, सह आचार्य, फार्माकोलोजी एवं डॉ. संजय सांखला, सहायक आचार्य, फार्माकोलोजी के प्रकरण में फार्माकोलोजी विशिष्टता की क्रमशः वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 की डीएसीपी अनुशंषाओं को रिव्यू किया गया। कमेटी की अनुशंषा पर डॉ. जैन का नाम वर्ष 2019-20 की डीएसीपी अनुशंषाओं में से विलोपित करते हुए इनको वर्ष 2018-19 के लिए एवं डॉ. सांखला को वर्ष 2019-20 के लिए उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति किया जाता है। डॉ. जैन एवं डॉ. सांखला अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	पदोन्नति पद	पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. चारु जैन	सहायक आचार्य	सह आचार्य	01.04.2018
2.	डॉ. संजय सांखला	सहायक आचार्य	सह आचार्य	01.04.2019

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)कार्मिक/क-2/78 दिनांक 27.08.2020 के अनुसरण में पदोन्नत चिकित्सक शिक्षकों को उनकी पदोन्नति तिथि से नगद लाभ देय होगा।

आज्ञा से
1/11/20
02.11.2020
(रमेश चन्द्र आर्य)
शासन वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा/जयपुर/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
6. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
8. रक्षित पत्रावली।

शिवशंकर

(शिवशंकर अग्रवाल)
शासन सहायक सचिव

